सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 27, मंगलवार, *शाके* 1947- जून 17, 2025

Jyaistha 27, Tuesday, Saka 1947- June 17, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 05, 2025

FORM-2
(See Rule 5)
Part -A,B
धारा 4(1)

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013)

RajKaj Ref No.: 15745349 :-माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत घोषित कार्य रायसिंहनगर-पदमपुर सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत 20 पीएस बस स्टैण्ड से वाया रिडमलसर होते हुए श्रीगंगानगर-हनुमानगढ सड़क तक सड़क चौडाईकरण (25.00 कि.मी.) हेतु श्रीगंगानगर जिले की तहसील पदमपुर में कुल 03.0136 हैक्टेयर भूमि की आवष्यकता है। इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. स.	जिले का नाम	तहसील का नाम	प्रभावित चक/गांव का नाम	अवाप्ताधीन निजी भूमि का क्षेत्रफल (है0)	अवाप्ताधीन सरकारी भूमि का क्षेत्रफल (है0)	अवाप्ताधीन भूमि का कुल क्षेत्रफल (है0)
1	श्रीगंगानगर	पदमपुर	रिडमलसर बारानी	1.8071	---	1.8071
2	श्रीगंगानगर	पदमपुर	60 एलएनपी	0.0310	0.0007	0.0317
3	श्रीगंगानगर	पदमपुर	59 एलएनपी द्वितीय	0.8611	0.2797	1.1408
4	श्रीगंगानगर	पदमपुर	59 एलएनपी प्रथम	0.0340	---	0.0340
Grand Total				**2.7332**	**0.2804**	**3.0136**

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं इस अधिनियम के तहत बने **Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquistion, Rehablitaion and Resettlement Rule, 2016**के अध्याय-**III** के नियम 5(1) के अनुसार सर्वे, परामर्ष, जनसुनवाई एवं समाघात अध्ययन आदि की प्रक्रिया सुनिष्चित करने हेतु यह अधिसूचना जारी की जा रही है।

s परियोजना हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करवाया जावेगा तथा इस कार्य हेतु चयनित एजेन्सी की जानकारी जिला कलक्टर /भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय से ली जा सकेगी।

s सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित एवं भूमि अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी तत्पष्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आए सुझावों आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण में संबंधित ग्रामसभा/पंचायत/ नगरपालिका /नगरपरिषद तथा/या प्रभावित भूमि धारकों से परामर्ष किया जावेगा।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम छह माह की अवधि में सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा।

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।